फर्द अहकाम

(नियम 26)

ज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी **मुकाम** बाप (फलोदी)

चन्दनसिंह पुत्र अचलसिंह **बनाम** भैनसिंह पुत्र धुकसिंह वगैरा

करण मुकदमा 75 आर.एल.आर.ए. मु.नं. 03/2024 सन

रीख ुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
0 2024	राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का अपीलांट द्वारा जरिये अधिवक्ता विरूद्व रेस्पोडेन्ट के पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया गया। अधिवक्ता अपीलांट की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता पर एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन बहस पर मनन करने पर पाया गया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के आधार पर प्रकरण प्रथम दृष्टया अपूर्णनीय क्षति का प्रतीत होता है अतः ग्राम बारू के खसरा नंबर 868 रकबा 31.9216 हैक्टेयर में से अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्से 1145/3944 हिस्सा तक अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व अन्य के इस आशय की जारी की जाती है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व अन्य उक्त भूमि के मौके की यथास्थिति बनाये रखे। उक्त स्थगन आदेश इस शर्त पर दिया जाता है कि वकील अपीलांट द्वारा जबाव पेश होने पर बहस हेतु एक से अधिक बार समय मांगने पर स्थगन आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावे। अधिवक्ता अपीलांट, रेस्पोडेन्ट की तलबी जरिये रजि. एडी. से करवाकर रसीदे तीन दिवस में पेश करे। पत्रावली दिनांक 30-10-2024 को पेश हो। Sd/- 01/10/24 उपखण्ड अधिकारी बाप (फलोदी) उपखण्ड अधिकारी बाप (फलोदी)	
30/10/24	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उप०। रेस्पोडेन्ट की तलबी हेतु भेजे गए RG/AD के नोटिस की डाक रसीदे पेश की। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री देवी सिंह भाटी ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते जबाब/इन्तजार तलबी दिनांक 05/11/2024 को पेश हो। Sd/-	
05/11/2024	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपo। वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 की तलबी हेतु दिनांक 08/11/24 को पेश हो। Sd/-	
8/11/2024	पत्रावली आज पेश हुई। उभय पक्ष वकील उपस्थित। वकील अपीलांट ने प्रार्थना-पत्र 01 R10 सीपीसी एवं फर्द दस्तावेज पेश किये, जिन्हे शामिल मिसल किया गया। वकील	Not Prese Sd/- 8-11-2024

अपीलांट ने नोटपेश को अपील खारिज करने हेतु निवेदन किया। अतः अपील अपीलांट नोटपेश मे खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर रजि. नम्बर से खारिज होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.11.2024 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(हस्ताक्षर) 08/11/24

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)